दिनांक 28.09.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम की टीम ने नेहरू नगर की दुकान से खाली कराया कब्जा

भिलाई नगर/ नेहरू नगर पूर्व स्थित दुकान में कब्जे की शिकायत पर जोन-1 आयुक्त सुनील अग्रहरि और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की। नेहरू नगर पूर्व स्थित दुकान क्रमांक 6 का ताला तोड़कर मालिक को कब्जा दिलवाया गया तथा टेबल , पुराना दरवाजा को पंचनामा तैयार कर जप्त किया गया। संपदा विभाग के बंछोर लाल कोसरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ओल्ड सॉडा काम्प्लेक्स नेहरू नगर पूर्व की एक दुकान को अंबरीश सिंह ने 30 वर्षीय लीज पर लिया था, लीज नवीनीकरण कराने के बाद उसने आपसी सहमति से अनिल पाठक को दुकान किराए करते हुए उसके नाम पर नामांतरण करने राजी हुआ। नामांतरण के बाद अनिल पाठक ने चावला डेकोरेटर्स से दुकान को खाली कराने की मांग की थी। आज जोन क्रमांक 1 की टीम ने दुकान का ताला तोड़कर कब्जा दुकान मालिक को दिलवाया। चावला डेकोरेटर्स को दो बार नोटिस देने के बावजूद वह दुकान की चाबी नहीं सौंप रहा था, अधिकारियों के द्वारा मौके पर उपस्थित होने बोलने के बाद भी आनाकानी करते रहा! कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अनिल सिंह , उप अभियंता अरविंद शर्मा , सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना भी मौके पर उपस्थित थे।